भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4350
दिनांक 19 मार्च , 2020 / 29 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों का निजीकरण

4350. **श्री एन° के° प्रेमचन्द्रन:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का हवाई अड्डों के निजीकरण के अपने निर्णय को संशोधित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजीकरण के निर्णय की समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को प्राथमिकता देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि हवाईअड्डों के लिए भूमि राज्य सरकारों द्वारा दी गई थी और यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का हवाई अड्डे पर सेवाओं के लिए प्रभार निर्धारित करने के अधिकारों सहित सभी अधिकार उन्हें उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : भारत सरकार ने पीपीपी प्रणाली के ज़रिये प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) के छः हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनतपुरम को पट्टे पर देने के लिए 'सिद्धांत-रूप में' अनुमोदन दे दिया है। भाविप्रा ने बोली आमंत्रित करने के लिए वैश्विक संविदा जारी की थी और उच्चतम बोलीकर्ता की पहचान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 03.07.2019 को उच्चतम बोलीकर्ता नामतः मैसर्स अदानी एंटरप्राइसेज़ लिमिटेड (एईएल) को तीन हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु को पट्टे पर देने के लिए अनुमोदन दिया था जिसने बोली दस्तावेज़ों के नियम एवं शर्तों के अनुसार पीपीपी के अंतर्गत 50 वर्ष की पट्टावधि के लिए इन तीन हवाईअड्डों के लिए उच्चतम प्रति यात्री शुल्क की बोली दी थी। इसका अनुसरण करते हुए, भाविप्रा ने 15.07.19 को मैसर्स एईएल को लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु हवाईअड्डों के संबंध में लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मैसर्स एईएल के बीच इन तीन हवाईअड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास हेतु रियायत अनुबंध पर 14.02.2020 को हस्ताक्षर किए गए हैं। लंबित मुकदमे बाज़ी/ अन्य मुद्दों के कारण शेष तीन हवाईअड्डों यथा जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को अवार्ड किए जाने का कार्य रुका

हुआ है।

(ख) और (ग): केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे को अपने नियंत्रण में लेने और उसका प्रचालन करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहक (एसपीवी) बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया और और उन्हें 10 प्रतिशत के प्राइस रेंज पैरामीटर के साथ राइट ऑफ फ़र्स्ट रिफ़्यूसल (आरओएफ़आर) के प्रावधान के तहत बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी। तदनुसार, केरल सरकार के नामित निकाय, यथा: केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन (केएसआईडीसी) ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया। तथापि, केएसआईडीसी द्वारा दी गई बोली, उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा दी गई 10 प्रतिशत प्राइस रेंज से कम पाई गई थी। केएसआईडीसी ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बोली प्रक्रिया को चुनौती दी। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.12.2019 के अपने आदेश में भाविप्रा के पक्ष में मामले पर अपना निर्णय दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष रिट याचिका दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28.02.2020 के अपने आदेश में मामले फैसला दिया और केरल के उच्च न्यायालय के पास मामले को वापस भेज दिया। मामला अभी न्याय निर्णयाधीन है।

(घ) : पीपीपी के अंतर्गत छः हवाईअड्डों की भूमि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है और अतः हवाईअड्डा भूमि को, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (2003 में यथा संशोधित) के खंड 12 (ए) में विहित प्रावधानों के अनुसार पट्टे पर दिया गया है।

(ङ) : भाविप्रा द्वारा अपने हवाईअड्डों पर अपनाए गए पीपीपी मॉडल के अंतर्गत, रियायत अवधि के दौरान पीपीपी भागीदार को भाविप्रा के कुछ कार्य जैसे कि हवाईअड्डे का प्रचालन, रख-रखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्तीय और प्रबंधन कार्य करने के लिए विशेषाधिकार और प्राधिकार प्रदान किए जाते हैं। पीपीपी हवाईअड्डों सहित प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के संबंध में प्रभार, एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण नामतः एयरपोर्ट्स इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (ऐरा) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

*****